

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur - 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel.: 0141-2722520

क्रमांकः प.8(109)RSSB / प.आ. / विविध / 2024 / u35

दिनांक 10 09 2024)

कार्यालय आदेश

बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन / विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने हेतु बोर्ड की बैठक में अनुमोदित होने के पश्चात निर्देशानुसार श्रुतलेखक (Scribe) के संबंध में "संशोधित दिशा—निर्देश" बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संलग्न प्रेषित है।

अभ्यर्थियों को सूचनार्थे संलग्न "संशोधित दिशा—निर्देश" एवं Appendix-A,B,C,D,E शीघ्र अपलोड किये जावें।

(डॉ. बी. सी बधील)

सचिव



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur - 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel.: 0141-2722520

श्रुतलेखक (SCRIBE) के संबंध में दिशा-निर्देश (संशोधित)

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन / विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेत् निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है—

1. अभ्यर्थी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकते हैं:--

1.1. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जांच ले कि उनके द्वारा लाया गया श्रुतलेखक बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।

1.2. श्रुतलेखक को फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी द्वारा वचन—पत्र केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं केन्द्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा।

1.3. अभ्यर्थी को नियमानुसार जारी दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. बोर्ड के माध्यम से:--

· 10)

- (A) केन्द्राधीक्षक से अनुरोध कर:— अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा से 02 दिवस पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण—पत्रों सिंहत केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी। अत अभ्यर्थी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- (B) बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक पैनल का प्रयोग कर:— पैनल के माध्यम से श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को परीक्षा से 02 दिवस पूर्व बोर्ड से संपर्क करना होगा। जिला प्रशासन/परीक्षा समन्वयक द्वारा जिलेवारं उपलब्ध पैनल में पंजीकृत श्रुतलेखकों को आवश्यकतानुसार श्रुतलेखक के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया जायेगा।

श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन /विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा-निर्देश:-

- 1. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के समय श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- 2. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वांछित दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, वचनपत्र (Appendix-A) एवं श्रुतलेखक का वचनपत्र (Appendix-B) भरकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।
- 3. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section—2(r) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनो हाथों की निःशक्ता— Both Arms) एवं सेरेबरल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section—2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिक्षक की सुविधा दी जायेगी। (Appendix-C) एवं दिव्यांगता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी।
- 4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section—2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित्त प्रमाण—पत्र (Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ बोर्ड से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- 5. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।

TH

- 6. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 व 04 के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र है, किन्तु श्रुतलेखक की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें भी मांग किये जाने पर परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना—पत्र, वांछित दिव्यांगता का प्रमाण—पत्र एवं वचनपत्र (Appendix-E) प्रस्तुत करना होगा।
- 7. श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (विज्ञापनानुसार) निम्नानुसार है:--

परीक्षा के लिए विज्ञापननुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है	श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता
(क) स्नातकोत्तर उपाधि	अधिकतम स्नातक
(ख) स्नातक उपाधि	अधिकतम द्वितीय वर्ष एवं स्नातक
	अध्ययनरत
(ग) सीनियर सैकण्डरी	अधिकतम सैकण्डरी
(घ) सैकण्डरी	उच्च प्राथमिक

- 8. अभ्यर्थी जिस विषय में परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी तथापि भाषायी संबंधी विषयों यथा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी व सिंधी हेतु उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं दी जा सकती है।
- 9. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य / प्रमाण प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में विवर्जित (Debarment) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 10. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए है, को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- 11. बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रूपये की दर से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का श्रुतलेखक लाने पर श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 12. श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्न बॉलकर बताया जायेगा एवं श्रुतलेखक उत्तरपुस्तिका में अभ्यर्थी द्वारा बोलकर बताये अनुसार ही उत्तर लिखेगा तथा स्वयं के मन से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने के लिए बाध्य होंगे। केन्द्राधीक्षक गहन निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक सुविधा का कोई दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है।
- 13. बोर्ड द्वारा केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करवाई जाने वाली श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर तैयार की गई है। अतः बोर्ड द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्राधीक्षक चिकित्सा प्रमाण—पत्रों की जांच कर लेवें तथा उन्हीं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया जावें, जो इसके लिये पात्र हैं।
- 14. बोर्ड की परीक्षाओं से विवर्जित (Debarred) अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

Section-2(r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with benchmark disability" means a person with not less than fourty percent of a specified disability whre specified disability has not been defined in measurable terms and included a person with disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

Section-2(s) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with disability" means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.

नोट— स्वंय का श्रुतलेखक लाने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन पश्चात सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित दिव्यांगता साबित नहीं होने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

Annexure-A,B,C,D,E संलग्न हैं। (तथा बोर्ड की मार्गदर्शिका में अंतिम पृष्ठों पर उपलब्ध हैं)

Undertaking by Candidate for using Scribe

Latest Photograph of Scribe (Showing face only)duly Attested by the center superintendent

			١.		!
1.				a candidate w	
				n) appearing	
	the(name				
	Noat	(na	me of the	center) in	the
	District, Ra	ajasthan. My	y educational	l qualificatior	ı is
	·				
2.	2. I do hereby state that			_(name of	the
	scribe) S/o/D/o			resident	of
				vide the serv	rice
	of scribe for the undersigned for ta		, .		
3	3. I do hereby undertake that Scribe	_			In
٠.	case, subsequently it is found that				
	undersigned and as decided by the	-		•	
	post and claims relating thereto.	Rood, Jaipai	i, i shan torre	it my right to	1110
4	4. I am not debarred in any exami	ination from	PSSB Inin	ur or any of	ther
ᅻ.		manon nom	RSSD, Jaip	out of any of	uici
~	examination body.			:11 6 - 4	:1-1-
٥.	5. In case any of the above information	n is found wi	rong then I w	ill be respons	ibie
	for all consequence as per rule.				
	,		(Signature	of the condid	nta)
			(Signature	of the candid	ale)
	VER	IFICATION	1		
Ĭ	Ĭ	verify that t	the information	on provided b	γ
	the candidate has been Checked as pe				
		/(C)			
		(Signat	ture of Center	r Superintend	ent)
pl	place:				
D	Date:				
N	Note: Kindly Attach self attested of	copies of Mo	edical Certif	icate and sc	ribe

Undertaking by Scribe

Latest Photograph of Scribe Showing face only duly Attested by the center superintendent

1.	I			S/o/D/o)	а	resident
	of	•			age/District/Sta	ite) Prov	iding the
	service	of	scribe	to	(name		_
	S/o/D/o_				appearing	for	the
				(name	of the	examina	ition) at
					center) in the l		,
					on is		
2.					fication is		
					alification is no		_
					ijasthan Staff se	lection Bo	oard, Jaipur
				e action as p			
3.				y examination	on from RSSB,	, Jaipur o	r any other
4	examinat		•		7 1 .1		
4.		_			found wrong the		
	_	_			nations conduc	-	
	selection	Board	i, Jaipur ai	id the Board	shall act agains	st me as p	er law.
					(Signatu	ire of the	Scribe)
					(
				VER	IFICATION		
I			ver	ify that the ir	nformation prov	ided by th	e scribe has
been					of the scribe.		
		1					
				(Sign	nature of Ce <mark>n</mark> ter	Superint	endent)
Place	,.						
Date:							•
		าดทบ ด	f Educatio	n Oualificati	ion Certificate &	z Photo Id	entity Proof
11000	. i ituacii a t	opy o	LLAUVAUV	ii Quunincan	on confidence of	C I HOW IG	Citiety 1 1001

of Scribe with this Undertaking.

Certificate regarding physical limitation of examinee to write

This is to certify that I have examined Mr/Ms/Mrsname of

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

he candidate with disability), a person with(nature
and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o
resident of(Village/District/State) and to
state that he/she/ has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.
Signature
Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a
Government health care institution
Name & Designation
Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal
Place:
Date:
Note: Certificate should be given by an authorised specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability- Orthopaedic specialist/PMR)

- - --

APPENDIX- D

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

	1.	(name of the	candidate), S/o /D/o		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, a resident of
•					ature of disability/condition), bility owing to his/her above orthotics, hearing aid (name	
	3.	recruitment a maximum pe	•	cademic institutions	and is valid upto	examinations conducted by (it is valid for authority)
	Ortl	ignature & Name) hopaedic/ R specialist	(Signature & Name) Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psych iatrist / Special Educator	(Signature & Name) Neurologist (if required)	(Signature & Name) Occupational therapist (if required)	(Signature & Name) Any other Expert based on the condition of the candidate, as nominated by the Chairperson
	ı ' '	gnature & Nar ief Medical O	ne) fficer/Civil Surgeon/C	hief District Medical	OfficerCh	nairperson

Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal

Place: Date:

Undertaking by Candidate for availing only Compensatory Time

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by the center superintendent

1.	I a candidate with
	(nature of disability/condition) appearing for the
	(name of the examination) bearing Ro
	No at
	(name of the center) in the District, Rajasthan.
2.	I do hereby undertake that I am eligible for availing Compensatory Time for aforementioned
	examination according to RSSB, Jaipur guidelines. In case, subsequently it is found that I am not eligible
	for the same, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.
3.	In case any of the above information is found wrong then I will be responsible for all consequence a
	per rule.
	(Signature of the candidate)
	VERIFICATION
[verify that the information provided by the candidate has been
	ed as per the original document of the candidate.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(Signature of Center Superintendent
Place:	
Date: Note:	Kindly Attach self attested copies of Medical Certificate and other related document applicable as per rule.